



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के अभियोग में 03 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष का कारावास व 13,500/- रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1142/2010 धारा- 307/34,504,506 भा0द0सं में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.मनमोहन सिंह पुत्र मलखान सिंह नि0 विदोखर मेदनी थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर 2.लल्ला सिंह उर्फ अरविन्द सिंह पुत्र बलवान सिंह (हिस्ट्रीशीटर) नि0 पत्योरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर 3.बब्लू सिंह उर्फ बब्लू सिंह उर्फ सबल सिंह पुत्र शिवसिंह नि0 रेलवे स्टेशन रोड कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 07-07 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 4500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी अशोक कुमार
शुक्ला



विवेचक-
उ0नि0 वासुदेव
यादव



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह